(138)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 340/96 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.01.96 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 29/अपील/1987–88.

1–महिला किशनी बाई विधवा मथुरालाल (फौत)
वरिसानः–
ए– भोलाराम
बी– शंकरलाल
सी– शंभूलाल पुत्रगण मथुरालाल खारी
निवासीगण ठीकरिया तहसील श्योपुर
जिला मुरैना म0प्र0
2– महिला वजी बाई पुत्री मथुरालाल
निवासी गुडनावदा तहसील श्योपुर
जिला मुरैना म0प्र0
3– महिला जानकी बाई पुत्री मथुरालाल
निवासी कुण्डहवेली तहसील श्योपुर
जिला मुरैना म0प्र0
4– महिला द्रोपतीवाई पुत्री मथुरालाल
निवासी नयागांव चन्दरपुर जिला कोटा
5– महिला रूकमणि वाई पुत्री मथुरालाल
निवासी राजपुरा तहसील श्योपुर
जिला मुरैना म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूद्ध

पब्लिक ट्रस्ट मंदिर श्री कुंजमुरली जुगल किशोर जी एवं राधावल्लभ जी बडोदा तथा कथित (द्वारा तथा कथित) न्यासधारी भूपेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह मृतक वाद वारिसान पृथ्वीराज सिंह करण सिंह पुत्रगण भूपेन्द्र सिंह निवासी बड़ौदा तहसील श्योपुर जिला मुरैना म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदकगण अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल एवं
श्री मुकेश बेलापुरकर
अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं
श्री नबी कुरैशी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20 - 5 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 29/अपील/1987-88 में पारित आदेश दिनांक 23.01.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2-प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पब्लिक ट्रस्ट मंदिर कुंन्ज मुरली जुगलकिशोर एवं राधा बल्लभ बड़ौदा के न्यासधारी भूपेन्द्र सिंह द्वारा संहिता की धारा 168(4) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकला के न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रस्ट की भूमि सर्वे कमांक 10/1 रकवा 14 वीघा 1 विस्वा ग्राम मकडावदा खुर्द में स्थित है। उक्त भूमि आवेदकगणों को पटटे पर सालाना लगान संवत 2008 लगायत 2020 की अवधि केलिये दी गई थी। पटटे की अवधि समाप्त हो चुकी है किन्तु आवेदकगण ने भूमि का अधिपत्य नहीं छोड़ा है और न ही लगान दिया है । अतः आवेदक को भूमि से निष्कासित किया जाए और अनावेदक को भूमि को अधिपत्य दिलाया जावे। आवेदकगण मथुरा लाल द्वारा भूमि जोतना स्वीकार करते हुये पटवारी कागजात के अनुसार भूमि का लगान 28 रूपये 10 पैसे पटवारी को दिया जाना कथन किया है । तथा पटटे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं जाना व्यक्त किया है । तथा विशेष आपत्ति में यह निवेदन किया है कि न्यासधारी होने का कोई प्रमाण अनावेदक द्वारा नहीं भेजा गया है

तथा लगान की सही जानकारी व दर का उल्लेख सही नहीं है। तथा वैद्यानिक आपत्ति भी संहिता की धारा 168 (4) प्रभावशील होने के पूर्व पट्टा दिया गया था। अतः वाद की स्थिति पर लागू नहीं होती है। इस संबंध में 1970 आर.एन. 577 न्याय दृष्टांत का उल्लेख किया गया है। दूसरी आपत्ति यह थी कि मंदिर जागीर का है । जागीर अधिनियम के अंतर्गत मांफी समाप्त हो चुकी है। और मांफी दौरान उन भूमियों के स्वामी हो चुके हैं इस कारण आवेदकगण मांफी का पटट्दार होने से जागीर समाप्ति की धारा 20 के अनुसार भूमि स्वामी हो चुका है। आवेदक का कहना है कि वह भूमि पर आज भी काबिज है तथा कृषि कार्य कर रहा है।

3– यह कि उपरोक्त प्रकरण में केवल शिवकल्याण के कथन कराये गये हैं जो पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के पश्चात उससे कोई संबंध नहीं हैं । आवेदक ट्रस्ट का न्यासधारी कहता है किन्तु उसने न्यायालय से समक्ष कोई कथन नहीं दिये हैं । उभयपक्ष की बहस श्रवण की गई । यह प्रकरण 1996 से लंबित है। तथा प्रकरण में अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय का प्राप्त नहीं हुआ। उभयपक्ष को प्रकरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया।

4– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से यह परिलक्षित है कि खसरे में मंदिर पक्का कुंज बांके कस्वा वडौदा पब्लिक ट्रस्ट कार्यकारी न्यासधारी देव स्थान प्रबंधक कलेक्टर जिला श्योपुर म0प्र0 शासन भूमि स्वामी दर्ज है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि मांफी ओकाफ की भूमि का प्रबंधक कलेक्टर होता है। तथा उसे ही बेदखल आदि की कार्यवाही करने का

अधिकार है। मांफी ओकाफ की भूमि के ट्रस्टी किस आधार पर मालिक हुये। यह अभिलेख स्पष्ट नहीं है। और न ही इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान दिया गया है तथा बेदखली कार्यवाही में कलेक्टर से कोई स्वीकृति या आदेश अनावेदक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया न कि उन्होंने स्वयं कथन दिया है और न ही प्रकरण के रिकार्ड पर ऐसी कोई आदेश उपलब्ध है। प्रकरण में मटेरियल साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने भी इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है। भूमि देवता की होने से कलेक्टर द्वारा वेदखली का आदेश आवश्यक है । अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । आवेदक पूर्वानुसार भूमि पर काबिज होने से कलेक्टर के आदेश के बिना भूमि के कब्जे व अभिलेख की पूर्वानुसार स्थिति बनाई रखी जावे।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त चंबल संभाग के प्रकरण कमांक 29/अपील/87-88 में पारित आदेश 23.1.96 एवं अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर वेदखली कार्यवाही निरस्त की जाती है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर